न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसिया ।
पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर,आर.ए.एस.
प्रार्थना पत्र संख्या – 229/2019
प्रार्थीगण :–

1 किशोरसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उर्फ शेरसिंह
2 विक्रमसिंह पुत्र श्री जबरसिंह उर्फ शेरसिंह
3 प्रकाश कवंर पुत्री श्री जबरसिंह उर्फ शेरसिंह
4 केलाश कवंर पुत्री श्री जबरसिंह उर्फ शेरसिंह
5 सन्तोष कवंर पुत्री श्री जबरसिंह उर्फ शेरसिंह
6 मरूधरसिंह पुत्री श्री जबरसिंह उर्फ शेरसिंह
7 शोभकरण पुत्री श्री जबरसिंह उर्फ शेरसिंह

जाति राजपूत निवासी उम्मेद नगर

तहसील तिवंरी जिला जोधपुर ।

–: ब ना म :–

अप्रार्थी :–

1 राजस्थान सरकार जरीये श्री तहसीलदार, तिवंरी ।

उपस्थित –
प्रार्थी की ओर से श्री चन्दनसिंह भाटी एडवोकेट ।
अप्रार्थी की ओर से सरकारी पेरोकार ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट. दिंनाक :– 13/11/19

निर्णय

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि तहसील तिवंरी के ग्राम उम्मेद नगर की सरहद मे खेत ख... नं. 411/11 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:51:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

9 बीघा 00 बीस्वा , खसरा नम्बर 411/13 रकबा 16 बीघा 13 बीस्वा भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा आई हुई है । उपरोक्त वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड मे जबरसिंह के नाम से खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि थी । जबरसिंह के फौत होने पर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी मे सम्वत 2060 से 2063 मे फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 1714 के जरीये प्रार्थीगण की वल्दीयत जबरसिंह उर्फ शेरसिंह दर्ज किया गया था क्यो कि जबरसिंह जी को गांव मे दोनो नाम से जाना पहचाना जाता व प्रार्थीगण के अन्य सभी कागजात व दस्तावजो मे वल्दीयत शेरसिंह दर्ज है । अगला चौसाला सम्वत 2064 से 2067 तैयार करते समय हल्का पटवारी की भूल से या लिपीकिय त्रुटी से अथवा कम्प्यूटर की गलती से जबरसिंह उर्फ शेरसिंह की जगह केवल जबरसिंह दर्ज कर दिया है जिसे दुरुस्त करवाकर प्रार्थीगण पुनः जबरसिंह उर्फ शेरसिंह दर्ज करवाना चाहते है । उपरोक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थीगण की वल्दियत गलत दर्ज की गई है जिसे यदि शुद्ध किया जाता है तो अप्रार्थी या अन्य किसी को कोई नुकसान नही होगा बल्कि राजस्व रेकर्ड शुद्ध हो जायेगा। प्रार्थीगण के दस्तावेजो मे वल्दीयत शेरसिंह दर्ज है तथा अन्य खातेदारी भूमि मे भी शेरसिंह दर्ज है इसलिए प्रार्थीगण राजस्व रेकर्ड को शुद्ध करवाने के अधिकारी है ।

प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थी को नोटिश जारी किया गया । अप्रार्थी की तरफ से सरकारी पैरोकार ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई । सरकारी पेरोकार ने अप्राथी से रिपोर्ट तलब कर न्यायालय मे पेश की जो सामिल पत्रावली [illegible] को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन [illegible] की जांच रिपोर्ट मे ग्राम उम्मेद नगर के नामान्तकरण [illegible] किशोरसिंह वगैरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:51:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, [illegible]

Scanned by CamScanner

पी. जब्बरसिंह नाम से नामान्तकरण भरा गया लेकिन उक्त नामान्तकरण मे भू.अ.महोदय ने टिप्पणी की कि खातेदार जब्बरसिंह का दुसरा नाम शेरसिंह है तथा उतराधिकारीयो के नाम के साथ उर्फ लगाकर दोनो नाम लिखा जाना उचित है तथा सरपंच महोदय ने भी उपरोक्त दोनो नामो से खाता स्वीकृत किया जाता की टिप्पणी की तथा आस पास सह खातेदारो से पूछताछ कि गई तो उनहोने बताया कि जब्बरसिंह व शेरसिंह दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है । उपरोक्त विवेचन व दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाता हूं ।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मे वर्णित ग्राम उम्मेद नगर की सरहद मे खेत खसरा नम्बर 411/11 रकबा 9 बीघा 00 बीस्वा , खसरा नम्बर 411/13 रकबा 16 बीघा 13 बीस्वा के राजस्व रेकर्ड मे प्रार्थी की वल्दियत जबरसिंह को दुरूस्त कर उसके स्थान पर जबरसिंह उर्फ शेरसिंह दर्ज किया जावे । खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे । पत्रावली फैसल सुमार की जाकर बाद आवश्यकता दाखिल दफ्तर हो ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर आसिया

निर्णय आज दिंनाक 13/11/19 को खुले न्यायालय मे सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया ।

सहायक कलेक्टर, ओसियां

सहायक कलेक्टर ओसिया

ग्रामीण सहायक कलेक्टर ओसियां जिला जोधपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 10:51:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner